(वाद संख्या–1099/18)

05.03.2021

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना (जिसे बाद में समिति के रूप में सम्बोधित किया जा रहा है।) के उप परीक्षा नियंत्रक (विविध), श्री सचिन कुमार सिंह और परिवादी, सरस्वती देवी, उपस्थित है।

उपस्थित उभय पक्ष को सुना व संचिका का अवलोकन किया ।

समिति के सचिव की ओर से समिति के ज्ञापांक–330, दिनांक–05.02.2021 द्वारा निर्गत आदेश के साथ प्रतिवेदन, उपस्थित उप परीक्षा नियंत्रक (विविध) के माध्यम से, परिवादी की उपस्थिति मे, समर्पित किया गया। परिवादी का कथन है कि उसे इस आदेश की प्रति प्राप्त हो चुकी है।

प्रसंगाधीन मामला परिवादी, श्रीमती सरस्वती देवी, द्वारा प्रशिक्षण सत्र 1990–92 के शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा–1994 (रॉल कोड–7501, क्रमांक–191) के उसके स्थगित (Withheld) परीक्षाफल के प्रकाशन से संबंधित है।

परिवादी का कथन है कि उसने सत्र 1990–1992 में महिला प्राथमिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण महाविद्यालय, डुमराँव, बक्सर से शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त किया था। उक्त सत्र का समिति द्वारा प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा,1994 आयोजित की गई थी जिसमे उसका रॉल कोड–7501 तथा क्रमांक नं0–191 था। उक्त

Bihar Human Rights Commission, Patna

परीक्षा में कुछ विवरणी और प्रपत्रों के अभाव मे उसके परीक्षाफल को समिति द्वारा स्थगित (Withheld) कर दिया गया। परिवादी का कथन है कि संबंधित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय द्वारा वांछित विवरणी व प्रपत्र, समिति को उपलब्ध नही कराने के कारण उसका परीक्षाफल प्रकाशित नहीं हो पाया है। उसकी ओर से उसके withheld परीक्षाफल के प्रकाशन का अनुरोध किया गया है। अपने उपरोक्त कथन के समर्थन में परिवादी द्वारा कुछ कागजात दाखिल किये गये। राज्य आयोग द्वारा परिवादी की ओर से दाखिल परिवाद पत्र व कागजातों की प्रति को समिति के सचिव व जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर को भेजते हुए उनसे प्रतिवेदन की मांग की गई। उन दोनों प्राधिकारों द्वारा राज्य आयोग के समक्ष समय–समय पर प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिनसे राज्य आयोग संतुष्ट नही हुआ।

आज राज्य आयोग के समक्ष स्पष्ट प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु समिति के सचिव को निर्देश दिया गया था। उक्त के आलोक में समिति के सचिव के द्वारा वांछित प्रतिवेदन समर्पित किया गया। प्रतिवेदनानुसार **समिति द्वारा अपने ज्ञापांक टी0टी0 कोषांग–138/ 2004–330, दिनांक–05.02.2021 द्वारा निर्गत आदेश द्वारा परिवादी सरस्वती देवी (प्रशिक्षणार्थी), राजकीय महिला प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाद्यिालय, डुमराँव, बक्सर के स्थगित (withheld)परीक्षाफल को रद्द कर दिया गया है।**

Bihar Human Rights Commission, Patna

राज्य आयोग के समक्ष उपस्थित परिवादी से समिति के सचिव की ओर से आज दाखिल प्रतिवेदन के प्रतिवाद व परिवाद पत्र मे उल्लेखित परिवादी के कथन के समर्थन में सुसंगत साक्ष्य की मांग की गई, जिसे परिवादी द्वारा उपलब्ध कराने में असमर्थता व्यक्त की गई। यहां यह उल्लेखनीय है कि सचिव के प्रतिवेदनानुसार, परिवादी के शिक्षक प्रशिक्षण की कालावधि 2 वर्ष की होती है, जबकि परिवादी के सेवापुस्तिका से यह प्रतीत होता है कि उसने **दिनांक–23.09.1991 से दिनांक–30.06.1992** तक ही प्रशिक्षण प्राप्त किया था अर्थात् उसकी प्रशिक्षण अवधि मात्र 8 माह ही रही। बिना वांछित प्रशिक्षणचर्या पुरा किये ही परिवादी को अनियमित रूप से प्राचार्य, राजकीय महिला प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, डुमराँव, बक्सर द्वारा उसके परीक्षा आवेदन को अग्रसारित कर वर्ष, 1994 के परीक्षा मे शामिल कराया गया। बिना प्रशिक्षणचर्या पुरा किये अनियमित रूप से परीक्षा में शामिल कराये जाने के आधार पर परिवादी को अंक पत्र /प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना विधिसम्मत नहीं होने के कारण इसके परीक्षा फल के प्रकाशन के दाबे को अस्वीकृत करते हुए इनके परीक्षाफल को रद्द कर दिया गया है।

उपरोक्त परिस्थिति में राज्य आयोग यह महसूस करता है कि परिवादी को अपना पक्ष रखने हेतु युक्तिसंगत समय और मंच उपलब्ध कराया गया है। संबंधित प्राधिकार द्वारा परिवादी को पुर्ण रूप से सुनकर, विधिनुसार, उसके दावे को अस्वीकृत कर दिया गया है।

Bihar Human Rights Commission, Patna

अतः उक्त के आलोक में प्रसंगाधीन मामलें मे समिति के सचिव के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रस्तुत मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर प्रस्तुत संचिका को राज्य आयोग के स्तर पर संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार, **सचिव, विद्यालय परीक्षा समिति, पटना** से प्राप्त प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए आज पारित आदेश की प्रति के साथ **परिवादी** को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य।

निबंधक

Bihar Human Rights Commission, Patna